POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 06

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जून, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! सत्यमेव जयते! कोख में कन्याओं की हत्या सिर्फ पाप ही नहीं हमारे समाज के लिए एक अभिशाप भी है। यह कोई नया मुद्दा भी नहीं है। एक लम्बे अर्से से स्वयंसेवी संस्थाएं इस मुद्दे को उठाती रही हैं।

बालक-बालिकाओं केबिगड़ते संतुलन पर आंकड़े भी जारी किए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में प्रति 1000 बच्चों की तुलना में बेटियों की संख्या 883 रह गई है, जबकि वर्ष 1981 में यह संख्या 954 थी। यह भी नहीं हैं कि हम और हमारी सरकारें इस सच्चाई और इसके दुष्परिणामों से वाकिफ न हो।

कोख में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए। अवैध रूप से गर्भ में लिंग परीक्षण को गंभीर अपराध घोषित कर कठोर दण्ड के प्रावधान भी किए हैं। कानूनन सोनोग्राफी संस्थानों के लिए पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। इन सबके बावजूद कन्या भ्रूण हत्या के मामले में प्रदेश बदनाम है।

हाल ही एक बार फिर से 'सत्यमेव जयते' टी.वी. धारावाहिक ने सरकार व समाज को इस मुद्दे पर सोचने को विवश किया है।

राज्य सरकार ने बेटियों को बेहतर सुविधाएं और हर क्षेत्र में उनके विकास के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने के लिए जल्द ही 'कन्या नीति' बनाने की घोषणा की है।

भ्रूण परीक्षण से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए 'फास्ट ट्रैक अदालतें' बनाने पर भी सहमति बनी है।

स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी समस्या के निवारण के लिए सरकार को कई सुझाव दिए हैं। लेकिन जागना तो हमें और हमारे समाज को है।

जनता की नहीं सुनी तो अफसर को देना होगा 5000 रुपए तक जुर्माना

अब सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों सहित आम आदमी की समस्याओं को सुनना और सही समाधान करना अफसरों व कर्मचारियों के लिए कानूनी रूप से जरूरी होगा। यदि वे तय समय सीमा में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

हर दफ्तर में होगा लोक सुनवाई अधिकारी

सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के हर दफ्तर और विभाग में एक लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त होगा। इससे संतुष्ट नहीं होने पर अपीलीय अधिकारी के पास मामला जाएगा, जो दोनों पक्षों को सुन कर दंड तय करेंगे।

- इसके लिए राज्य विधानसभा में 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक 2012' पारित कर दिया गया है।
- जल्द ही विधेयक के तहत शिकायतों की सुनवाई के लिए लोक सुनवाई अधिकारियों के साथ-साथ प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी।
- अपील अधिकारियों के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होंगी। इसलिए इनके फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील नहीं हो सकेगी। लोक सुनवाई अधिकारी के लिए भी अपीलीय अधिकारी का फैसला अन्तिम होगा।
- आम जन की शिकायतों की सुनवाई और समाधान के लिए प्रदेश भर में सूचना और सुगम केन्द्र खोले जाएंगे। इनमें ग्राहक सेवा केन्द्र, कॉल सेंटर, हैल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्रों की भी स्थापना की जाएगी। लोगों की शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय सीमा में होगा। इसके लिए जो कानून बनेंगे उनमें यह प्रावधान किए जाएंगे।

फंगस लगी काजू कतली बेची, देना होगा चार लाख का हर्जाना

मानसरोवर निवासी मोहनलाल प्रजापत ने उपभोक्ता मंच जयपुर में गोपालपुरा मोड, टोंक रोड स्थित कान्हा स्वीट्स के खिलाफ परिवाद दर्ज किया। परिवाद में बताया गया कि उन्होंने 26 अक्टूबर, 2011 को कान्हा स्वीट्स से 2 किलो काजूकतली 1328 रुपए में खरीदी थी। दूसरे दिन दीपावली के उपलक्ष्य में घर आए मेहमानों को उन्होंने यह काजूकतली खाने को दी, तो उसका स्वाद खराब था और बदबू आ रही थी। शिकायत पर कान्हा स्वीट्स के कर्मचारी उनके घर आए और शिकायत को सही बताया। उन्होंने इसकी शिकायत जिला रसद अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को की। प्रयोगशाला जांच में फंगस इन्फैक्शन पाया गया।

सुनवाई पर मंच ने उपभोक्ता के कथन और प्रस्तुत साक्ष्यों को सही माना। जबकि कान्हा स्वीट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। मंच ने माना कि फंगसयुक्त काजूकतली खाने योग्य नहीं होती एवं मिलावटी मिठाई बेचना जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।

उपभोक्ता मंच ने अपने फैसले में कान्हा स्वीट्स पर 4 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। इसमें से 50 हजार रुपया परिवादी मोहन लाल को देने और साढ़े तीन लाख उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंच ने मिठाई खरीद के 1328 रुपए ब्याज सहित और पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में भी परिवादी को अदा करने के आदेश दिए हैं।

पंचायत समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना जरूरी

प्रदेश की पंचायतों में रिकॉर्ड व सूचनाओं के रखरखाव की स्थिति ठीक नहीं है। राज्य सरकार को इसके लिए जल्द ही कोई नीति या मार्गदर्शिका बनानी चाहिए, ताकि सूचनाओं का संधारण सही प्रकार से किया जा सके।

यह विचार राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त टी. श्रीनिवासन ने 15 मई को कट्स द्वारा मनरेगा में जन भागीदारी व सूचना के अधिकार के प्रभावी उपयोग पर आयोजित कार्यशाला में व्यक्त करते हुए सूचनाओं के स्वतः प्रकाशन पर बल दिया।

कार्यशाला में आर.सी.गुप्ता, अतिरिक्त जिला समन्वयक (मनरेगा), जयपुर ने कहा कि मनरेगा एक अनूठी योजना है। इतनी बड़ी योजना में खामियां हो सकती है, जिसे आमजन की भागीदारी, पंचायतों की प्रभावी भूमिका और मनरेगा के मानव संसाधनों के कौशलवर्धन से दुरुस्त किया जा रहा है।

कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री के सलाहकार व यूनीसेफ के कन्सलटेन्ट पी. आर. शर्मा ने कहा कि पंचायतों की इच्छा शक्ति के आभाव में मनरेगा अपनी चमक खोता जा रहा है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों को अधिक मेहनत करनी होगी। कार्यशाला में सरपंचों, ग्राम सेवकों, मीडिया एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सस्ता होने से होता है बेजा इस्तेमाल

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सस्ता होने की वजह से लोग पानी और बिजली का बेजा इस्तेमाल करते हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कानून की दरकार है।

उन्होंने दिल्ली में 'भारत जल सप्ताह' के उदघाटन के मौके पर यह विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भू-जल अभी निजी मिल्कियत है, इसे साझा सम्पत्ति बनाया जाना चाहिए। भारत में आबादी के हिसाब से पानी बेहद कम है।

ऐसे में अपनी जमीन से मनमर्जी पानी निकाले जाने की व्यवस्था खत्म करनी होगी। इसके लिए सख्त कानून बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 17 फीसदी आबादी भारत में है। पीने का पानी मात्र चार फीसदी है, इसके बावजूद भू-जल दोहन व इस्तेमाल के लिए अभी तक नियामक नहीं है।

निजात के उपाय

- *जमीन के नीचे से पानी निकालने की सीमा तय हो।*
- *बेहतर जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए सख्त कानून बने।*
- *बिजली और पानी की कीमतें बढ़ाई जाए, बेजा इस्तेमाल रुके।*
- *जल संरक्षण और उपयोग के सामान्य सिद्धांतों को लेकर राष्ट्रीय कानूनी ढ़ांचा बनाया जाए।*

पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा

पंचायत राज मंत्रालय की राजीव गांधी ग्राम पंचायत सशक्तीकरण योजना के तहत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह जानकारी केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयराम रमेश ने दी है। इस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट 99 हजार करोड़ रुपए है।

हाल ही खराब मौसम के कारण उनका विमान दिल्ली की बजाय जयपुर उतारा गया था। सड़क मार्ग से जाते समय मिड़वे पर ठहराव के दौरान उनका ग्रामीणों ने स्वागत किया तो उन्होंने यह बात कही।

जननी शिशु सुरक्षा योजना पर उठे सवाल

केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के मकसद से जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। योजना के तहत प्रसुताओं और बीमार नवजात शिशुओं को सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार की निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

इस योजना के लागू होने से सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव संख्या में भी इजाफा हुआ है। लेकिन योजना से मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी नहीं आई। विशेषज्ञों की नजर में इसकी मुख्य वजह अस्पतालों में जरूरी इंतजामों की कमी और खामियां होना है। सरकार को इस दिशा में जल्द आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

गरीबी बेरोजगारी हटाने में कछुवा चाल

प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए विदेशी सहायता से मिला धन भी समय पर खर्च नहीं हुआ। पिछले साल प्रदेश में 6 पश्चिमी जिलों में गरीबी हटाने और 17 जिलों में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर देने के लिए विदेश से मिली राशि का महज 7 फीसदी हिस्सा ही खर्च हुआ।

सरकार ने इन योजनाओं के लिए पूरे साल में 84 करोड़ रुपए खर्च करना तय किया था, लेकिन मार्च 2012 तक केवल 6.91 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इसके अलावा विदेशी सहायता से चल रही बुनियादी ढांचा विकास की अन्य परियोजनाओं में भी खर्च के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं।

विधायकों से कराएं अब दोगुना विकास

प्रदेश में विधायकों को अपने इलाके में विकास के काम कराने के लिए विधायक कोष से अब हर साल दो करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि एक करोड़ रुपए थी।

मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधान सभा में बजट पारित होने से पूर्व यह घोषणा की है। इसके अलावा विधायकों को अब हर माह 10 दिन अपने इलाके में वाहन सुविधा के लिए 10 हजार के बजाय 20 हजार रुपए मिलेंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि विधायकों को दी गई इस सुविधा का आप किस प्रकार अपने क्षेत्र के विकास में फायदा उठाएंगे।

'बिटिया बचाओ' मुख्यमंत्री का नया नारा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपना पांचवा नारा 'बिटिया बचाओ' दिया है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या महा पाप है। कई जगह लड़कियों की संख्या कम होने से लड़कों की शादियां नहीं हो रही है। उनके परिवार वालों को दक्षिण-पूर्वी राज्यों से लड़कियां लानी पड़ रही है।

इसे देखते हुए सरकार बेटियों को बेहतर सुविधाएं और हर क्षेत्र में उनके विकास के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने के लिए 'कन्या नीति' बनाने जा रही है। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ के नारे में उन्होंने पांचवा नारा बिटिया बचाओं को भी जोड़ा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा

महिला एवं बाल विकास मंत्री बीना काक ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और सहयोगिनियों का मानदेय दस फीसदी बढ़ा दिया है। उनका खुद का मानना है कि यह बढ़ोतरी काफी कम है। उन्होंने संकेत दिया है कि इस पर आगे और विचार करेंगे।

उन्होंने यह जानकारी राज्य विधानसभा में देते हुए बताया कि इनको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत मानदेय का भुगतान किया जाता है। इन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते।

कालाधन - उपभोक्ता जागे

ग्राम गदर मेरी राय में एक अनुकरणीय व आदर्श प्रकाशन है। विदेशी बैंकों में जमा कालाधन हमारे सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य से कई गुना ज्यादा है। हम सामान खरीदते हैं तो उसका बिल दुकानदार से नहीं लेते हैं। इससे हर दिन अरबों रुपए के विभिन्न करों की चोरी होती है। इस तरह क्या हम कालाधन उपार्जन में योगदान नहीं करते?

अतः उपभोक्ता जागे, कोई भी सामान खरीद पर पूरा बिल अवश्य लें। कालाधन पकड़े जाने पर 60 फीसदी टैक्स और 40 फीसदी अतिभार वसूला जावे। साथ ही सजा का प्रावधान हो। अघोषित आय पकड़े जाने पर उनके नाम व फोटो छापे जाने चाहिए।

- डॉ. डी.पी.गर्ग
छत्रपति नगर, इन्दौर (म.प्र.)

जिन लोगों ने विदेशी बैंकों में धन जमा किया है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 6 माह की समय अवधि में अपने विदेशी बैंक में जमा धन की जानकारी नहीं देता है तो उस धन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर देना चाहिए। इस धन को ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार और गरीबी उन्मूलन योजनाओं में लगाना चाहिए। यह धन देश में वापस आ जाए तो हिन्दुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है।

- अंजनी रस्तोगी, अध्यक्ष, अरविन्द महिला विकास क्लब, बदायूं (उ.प्र.)

भ्रष्टाचारियों का सर्वे कराएगी सरकार

भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए लोकपाल आन्दोलन से सबक लेते हुए अब केन्द्र सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। सरकार अब सभी विभागों में सर्वे कराएगी, जिससे पता चल सके कि कहां किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें कौन-कौन लिप्त हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है।

सर्वे के लिए सरकार की ओर से विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई है। यह देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होने वाला पहला अधिकारिक सर्वे होगा और सभी सरकारी विभाग इसके दायरे में होंगे।

नए कार्डों से मिलेगी राशन सामग्री

प्रदेश में सितम्बर से राशन सामग्री का वितरण नए कम्प्यूटरीकृत राशनकार्डों के जरिए किया जाएगा। केरोसिन कूपन के जरिए मिलेगा। नए कार्डों का वितरण जुलाई माह से शुरू हो जाएगा। चीनी वितरण के काम में पारदर्शिता लाने के लिए बीपीएल परिवारों को चीनी वितरण कूपन के आधार पर होगा।

अब सीनियर सैकण्डरी पास और कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ही राशन डीलर नियुक्त किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों को विशेष नम्बर दिए जाएंगे। पिछले दिनों ये निर्णय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित जिला रसद अधिकारियों की बैठक में लिए गए हैं।

निगरानी

ग्राम गदर के पाठक कृपया पोस्टकार्ड में निम्न विषय पर संक्षेप में अपने विचार नीचे लिखे पते पर भेंजेः

'कन्या भ्रूण हत्या'

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस' जयपुर